कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) के प्रांगढ़ में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड, फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान एवं नवीन न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि में साईकिल स्टैण्ड, फोटोस्टेट मशीन की दुकान, चाय कैन्टीन की दुकान को वित्तीय वर्ष 2024–2025 (दिनाँक 01.04.2024 से दिनाँक 31.03.2025 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु **दिनाँक 26.02.2024 दिन सोमवार सायं 04:00 बजे** नियत है।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in,** एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.hathras.nic.in** जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/hathras** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनाँक: 06.02.2024

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),</u>
<u>जनपद न्यायालय, हाथरस।</u>

<u>इश्तहार नीलामी</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) के प्रांगढ़ में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड, फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान एवं नवीन न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि में साईकिल स्टैण्ड, फोटोस्टेट मशीन की दुकान, चाय कैन्टीन की दुकान को वित्तीय वर्ष 2024–2025 (दिनाँक 01.04.2024 से दिनाँक 31.03.2025 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु **<u>दिनाँक 26.02.2024 दिन सोमवार, सायं 04:00 बजे</u>** जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।
03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 20,000/– (बीस हजार) की धनराशि **(मुख्यालय हेतु)** एवं जमानत रू० 10,000/– (दस हजार) की धनराशि **(वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ हेतु)** को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 20,000/– (बीस हजार) की धनराशि **(मुख्यालय हेतु)** एवं जमानत रू० 10,000/– (दस हजार) की धनराशि **(वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ हेतु)** को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
05. वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु मुख्यालय पर स्थित साईकिल स्टैण्ड ठेके का आधार मूल्य रू० 19,97,110.50 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2022–2023 की तुलना में (रू० 18,15,555.50 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
06. वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु मुख्यालय पर स्थित फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान का आधार मूल्य रू० 66,110.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2020–2021 की तुलना में (रू० 60,100.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
07. वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु मुख्यालय पर स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान का आधार मूल्य रू० 69,850.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2023–2024 की तुलना में (रू० 63,500.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
08. सिकन्द्राराऊ स्थित नवनिर्मित भवन का औपचारिक कब्जा PWD द्वारा जनपद न्यायालय को सुपुर्द नहीं किया गया है। अतः नीलामी प्रक्रिया के आवंटन की कार्यवाही औपचारिक कब्जे के अधीन रहेगी।
09. वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ स्थित समिति द्वारा सर्वसम्मति से फोटोस्टेट मशीन की दुकान एवं चाय कैण्टीन की दुकान के लिए क्रमशः रू० 10,000.00 एवं 15,000.00 की धनराशि आधार मूल्य के रूप में निर्धारित है।
10. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2024 तथा 01 अक्टूबर–2024) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
12. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।

13. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।

14. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।

15. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

16. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प एवं अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा।

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–01, हाथरस।